परवरिश योजना

अभिवंचित बच्चों के लिए बिहार सरकार की योजना

राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के गैर–सांस्थानिक प्रयासों के उनकी सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़कर समुदाय आधारित व्यवस्था के निर्माण को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में "परवरिश" नाम की योजना संचालित है, जिसके द्वारा अनाथ एवं अभिवंचित बच्चों का पालन–पोषण समुदाय स्तर पर ही सुनिश्चित किया जा रहा है।

योजना का लक्ष्य समूह:

1. अनाथ एवं बेसहारा बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा अपने रिश्तेदार के साथ रहते हैं।

2. एच.आई.वी (+)/एड्स/कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे।

3. एच.आई.वी (+)/एड्स से पीड़ित माता/पिता के बच्चे कुष्ठ रोग से (ग्रेड–II) से पीड़ित माता/पिता की संतानें।

योजना की पात्रता:

1. बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो।

2. पालन–पोषणकर्ता परिवार अथवा माता–पिता जो बी.पी.एल. के अधीन सूचीबद्ध हो अथवा उनकी वार्षिक आय 60,000 रूपये से अधिक नहीं हो। (एच.आई.वी/एड्स एवं कुष्ठ रोग के मामले में लागू नहीं)

योजना के अन्तर्गत अनुदान की राशि :

- 0–6 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के लिए 900/– रू0 प्रतिमाह
- 6–18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के लिए 1000/– रू0 प्रतिमाह

आवेदन की प्रक्रिया :

आवेदन पत्र आँगनवाड़ी केन्द्र की सेविका के पास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आवेदन पत्र विभाग के वेबसाईट :http://socialwelfare.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है। आवेदक, आवेदन पत्र भरकर एवं आवश्यक कागज़ात संलग्न कर संबंधित क्षेत्र की आँगनवाड़ी सेविका के पास जमा करेंगे। एच.आई.वी./एड्स के मामले में आवेदक आवेदन पत्र भरकर CDPO (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी) के कार्यालय में जमा करेंगे।